

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण-वितरण अधिकारी,

सहारनपुर, मेरठ बरेली, कानपुर नगर, झाँसी, वाराणसी, गोरखपुर तथा गोण्डा।

संख्या- 1/627/2019-1/06/2019 :

लखनऊ: दिनांक 03 फरवरी, 2020

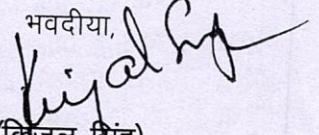
विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-04-मंडल पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-13/2019/793/33-3-2019-100(3)/2017 दिनांक 08.04.2019 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अपर मुख्य सचिव, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-5/2019/वे0आ0-2-245/दस-2019-04(एम)/2016 दिनांक 03.06.2019 के अन्तर्गत मण्डल पंचायत प्रशासन के मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका में रु0-9,38,524/- (रुपया नौ लाख अड़तीस हजार पांच सौ चौबीस मात्र) धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-4/2018/आर0जी0-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-04-मंडल पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
9. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
10. बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
11. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।

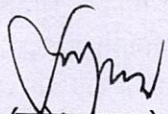
12. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
13. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
14. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
15. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-
1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2019-20 में समर्पण यदि कोई हो तो उसकी सूचना दिनांक 29.02.2020 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-10 पर अंकित है।
- संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

 (किजल सिंह)
 निदेशक,
 पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/627/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, कानपुर नगर, झाँसी, वाराणसी, गोरखपुर तथा गोण्डा।
- ✓ 8. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


 (ब्रजेश कुमार)
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
 पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-03/03/2020

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1-627-2019-1-06-2019
007-01-06-2019

14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेतर-मतदेय)

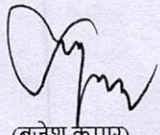
101 - पंचायती राज
04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-महंगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	45-अवकाश यात्रा व्यय	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 668800	12540 101156	0 16000	0 15000	0 28000	0 0	0 0	0 0	0 0	12540 828956
2	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 3299390	0 563500	0 16000	0 15000	0 28000	0 0	38980 68980	0 0	0 0	38980 3990870
3	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 4584171	70000 614009	0 16000	0 15000	30000 58000	100000 100000	0 0	50000 50000	25000 25000	275000 5462180
4	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 2803170	36216 438648	0 16000	0 15000	0 28000	0 0	0 0	0 0	0 0	36216 3300818
5	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 1151600	0 244782	7000 23000	0 15000	0 28000	0 0	31020 31020	0 0	0 0	38020 1493402
6	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 1086000	0 171570	0 16000	0 15000	34000 62000	0 0	0 0	0 0	0 0	34000 1350570
7	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	48152 2899225	245616 679915	0 16000	0 15000	0 28000	0 0	0 0	0 0	0 0	293768 3638140
8	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 1186000	0 142320	10000 26000	30000 45000	0 28000	80000 80000	0 0	50000 50000	40000 40000	210000 1597320
	योग	वर्तमान प्रगामी	48152 17678356	364372 2955900	17000 145000	30000 150000	64000 288000	180000 180000	70000 100000	100000 100000	65000 65000	938524 21662256

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया नौ लाख अड़तीस हजार पाँच सौ चौबीस
रूपया दो करोड़ सोलह लाख बासठ हजार दो सौ छप्पन


(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

